न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 157 / 2022

न्द्र कुमार सोनी पुत्र स्व0 श्याम लाल सोनी, वार्ड नं0 21, निहाली चौक, पिलानी, पिन कोड 333031, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9351896503

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 157 / 2022 पर दिनांक 05.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1920–21 दिनांक 05.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
8. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक आरटीआई / 2022 / 134 दिनांक 20.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के पत्रांक एफ 16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 27 दिनांक 02.02.2022 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 69 दिनांक 23.02.2022 द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचनायें आवेदक को समय पर एवं सही भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
4. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना दिलाने का निवेदन किया।
5. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ पत्रांक आरटीआई / 2022 / 134 दिनांक 20.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के पत्रांक एफ 16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 27 दिनांक 02.02.2022 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 69 दिनांक 23.02.2022 द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचनायें आवेदक को समय पर एवं सही भिजवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ द्वारा जरिये पत्र प्रार्थी को सूचित किया गया है कि आप द्वारा सूचना न चाहकर प्रश्नात्मक / जिज्ञासा / समाधान से संबंधित जानकारी चाही गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) एवं (झ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नही होने के कारण देय नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
6. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं